

2019/00011

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)  
पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद कायक RAS

प्रकरण संख्या 6 / 2019  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956  
उनवान

कन्दलम 3/0 कायक लाल कोली करीब  
मिनासी शाहपुरा

- प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

मिह 3/0 कन्दराम गाडरी करीब मि० का० रघुसुखा

- विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री अश्वयुक्त रेवरी  
कमिश्नर शाहपुरा

निर्णय

दिनांक 27-5-19

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम रघुसुखा तहसील शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 957, रकबा 0.30 ई.  
958 रकबा 0.91 ई.

कुल किता 2 रकबा 1.21 हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काशतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम रघुसुखा संवत् 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर स्वीकार किया जाकर मौजा रघुसुखा में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदार/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 2 रकबा 1.21 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी कर जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 250 रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफ़सील दाखिल दफ़्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27-5-19 को सरे इजलास सुनाया गया।



[Signature]  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
आर०ए०एस०  
सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा ( भीलवाड़ा )

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/ को पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

[Signature]  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा ( भीलवाड़ा )